

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 मई 2013—ज्येष्ठ 8, शक 1935

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2013

क्र. एफ 5-2-2010-पन्द्रह-(1).—मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के अनुक्रमांक 9 पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, शहडोल के दर्शित विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, (जिलों को), उनमें से जिला डिण्डोरी को अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा अनुक्रमांक 4 पर दर्शित संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जबलपुर के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को, (जिलों को) उनमें जिला डिण्डोरी को समाविष्ट करते हुए परिवर्तित करती है।

No. F. 5-2-2010-XV-1.—In, exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-5-2010-XV-1-B, dated 23rd October, 2010, namely:—

AMENDMENT

In the table of said Notification, alter the specified areas (Districts) shown in serial number 9 Joint Registrar, Co-operative Societies, Shahdol by excluding therefrom Dindori District and alter the specified areas (Districts) shown in serial number 4 Joint Registrar, Co-operative Societies, Jabalpur by comprising of Dindori District.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, उपसचिव.